संख्या -8/सू0अ0 17/84-2-2013-1(विविध)/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 सितम्बर, 2013

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रार्थना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, खाद्य एवं रसद अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-सू.अ. 238/29-8-2013, दिनांक 30 अगस्त, 2013 एवं इसके साथ संलग्न श्री अजय पाण्डेय, एडवोकेट, बालाजी का मंदिर, दिबियापुर रोड, औरैया के पत्र दिनांक 26-8-2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 17-8-2013 की छायाप्रति निबन्धक, राज्य आयोग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा भेजी गयी है। अत: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत प्रकरण आपको अंतरित किया जाता है।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी ।

पृष्ठांकन संख्या-8/सू0अ0 17(1)/84-2-2013-1(विविध)/2006, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

(1) अनुभाग अधिकारी, लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र.शासन को रूपया 10/- के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या-17 एफ 108636 की मूल प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे निर्धारित मद में जमा कराने का कष्ट करें।

.....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) खाद्य एवं रसद अनुभाग-8 को उनके पत्र दिनांक 30.8.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(3) श्री अजय पाण्डेय, एडवोकेट, बालाजी का मंदिर, दिबियापुर रोड, औरैया-206122 को इस सूचना के साथ प्रेषित कि आपका शिकायती पत्र दिनांक 17-8-2013 निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 04-09-2013 को भेज दिया गया है तथा प्रकरण उक्तानुसार राज्य आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को अंतरित कर दिया गया है।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in